दिल्ली विकास प्राधिकरण

(बैठक कक्ष)

सं. एफ. 2(2)2017/एम.सी./डी.डी.ए./112 **दिनांक : 28 जुलाई, 2017**

विषय : <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।</u>

कृपया राज निवास, दिल्ली में दिनांक 20 जुलाई, 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें। बैठक कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो कृपया 7 दिनों के अंदर इसे प्रस्तावित करें ।

(जे. टोप्पो)
उप निदेशक (बैठक)

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. आयुक्त (कार्मिक)
2. आयुक्त (भूमि निपटान)
3. आयुक्त (प्रणाली)
4. आयुक्त (योजना)
5. मुख्य वास्तुविद्
6. मुख्य विधि सलाहकार
7. मुख्य लेखा अधिकारी
8. अपर आयुक्त (भू-दृश्य)
9. वित्त सलाहकार (आवास)
10. निदेशक (भूमि लागत निर्धारण)
11. निदेशक (कार्य)

सूचनार्थ प्रति प्रेषित :

मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा.

<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

सं. एफ. 2(2)2017/एम.सी./डी.डी.ए./111 दिनांक: 28 जुलाई, 2017

विषय : दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

कृपया राज निवास, दिल्ली में दिनांक 20 जुलाई, 2017 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें। बैठक कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो कृपया 7 दिनों के अंदर इसे प्रस्तावित करें ।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

<u>अध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

3. श्री के.विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री बी.के. त्रिपाठी
   सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी.
6. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
   रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
7. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
8. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
9. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

<u>विशिष्ट आमंत्रिती</u>

1. डॉ. एम.एम. कुट्टी
   मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
2. श्री एस. एन. सहाय
   प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
3. श्रीमती रेणु शर्मा
   प्रधान सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
4. श्री धर्मेन्द्र
   संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
5. श्री विजय कुमार
   दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के सचिव
6. श्री ए. अंबरासु
   सचिव (एल.एंड बी.), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
7. श्री के.के. जोआद्दर
   प्रमुख योजनाकार, टी.सी.पी.ओ
8. डॉ. पुनीत कुमार गोयल
   आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम
9. श्री प्रवीण गुप्ता
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
10. श्री मोहनजीत सिंह
    आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
11. श्री राजीव वर्मा
    प्रधान आयुक्त (एल.डी., एल.एम. एवं लैंड पूलिंग), दि.वि.प्रा.
12. श्री जे.पी. अग्रवाल
    प्रधान आयुक्त (आवास, प्रणाली एवं राष्ट्रमंडल खेल), दि.वि.प्रा.
13. श्री श्रीपाल
    प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1. श्रीमति स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव
2. श्री आर. एन. शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव

3. श्री रवि धवन
   उपराज्यपाल, दिल्ली के संयुक्त सचिव
4. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

<u>सूचनार्थ प्रति प्रेषित :</u>

मंत्री महोदय (आवासन एवं शहरी कार्य) के सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री कार्यालय, भारत सरकार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में दिनांक 20 जुलाई, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थें :

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री उदय प्रताप सिंह

<u>सदस्य</u>

1. श्री के.विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. डॉ महेश कुमार
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
   रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशिष्ट आमंत्रिती</u>

1. श्री धर्मेन्द्र
   संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
   भारत सरकार

2. श्री विजय कुमार
   दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के सचिव
3. श्री ए. अनबरासु
   सचिव (एल.एंड बी.), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार
4. श्री प्रवीण गुप्ता
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
5. श्री पुनीत गोयल
   आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम
6. श्री मोहनजीत सिंह
   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
7. श्री राजीव वर्मा
   प्रधान आयुक्त (एल.डी., एल.एम. एंड लैण्ड पूलिंग), दि.वि.प्रा.
8. श्री जे.पी. अग्रवाल
   प्रधान आयुक्त (आवास, प्रणाली एवं राष्ट्रमंडल खेल), दि.वि.प्रा.
9. श्री श्रीपाल
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू दृश्य एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती स्वाति शर्मा
   उपराज्यपाल की विशेष सचिव
2. श्री रवि धवन
   उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव
3. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी प्राधिकरण सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया ।

<u>मद संख्या 17/201</u>

राजनिवास में दिनांक 10.02.2017 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ. 2(2)2017/एम.सी./डी.डी.ए.

श्री सोमनाथ भारती ने दिनांक 10.02.2017 को प्राधिकरण की बैठक में उनके द्वारा उठाए गए 'अन्य बिंदुओं' के पैरा-2 में यह कहते हुए संशोधन की मांग की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी निवासियों का पुनर्वास किस नीति के अंतर्गत प्रस्तावित है इसका स्पष्टीकरण मांगने के स्थान पर उन्होंने इन झुग्गी निवासियों के पुनर्वास पर विचार करने का प्रस्ताव दिया था ।

दिनांक 10.02.2017 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में श्री सोमनाथ भारती द्वारा उपर्युक्त संशोधन के अनुरोध को अनुमोदित किया गया । तद्नुसार, पैरा के संशोधित कार्यवृत्त का पाठ निम्नानुसार होगा :-

पैरा-2 "इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप और एफ- ब्लॉक, मालवीय नगर में दि.वि.प्रा. की भूमि पर झुग्गी वासियों के पुनर्वास पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की तथा क्या दि.वि.प्रा. ने इस संबंध में डी.यू.एस.आई.बी. को लिखा है ।"

दिनांक 10.02.2017 को प्राधिकरण की बैठक के शेष कार्यवृत्त के परिचालन की पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या 18/2017</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 10.02.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।
एफ. 2(3)2017/एम.सी./डी.डी.ए.

प्राधिकरण की दिनांक 10.02.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों (ए.टी.आर.) के संदर्भ में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

i) श्री सोमनाथ भारती ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी वासियों के पुनर्वास पर विचार करने का अनुरोध किया ।
   क) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि दि.वि.प्रा. प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बन चुकी है और झुग्गी वासियों का पुनर्वास इस नीति के अनुसार किया जाएगा ।
ii) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि दि.वि. प्रा. को वास्तविक जांच के बाद दिल्ली में अपनी खाली पड़ी और अतिक्रमित भूमि की पूरी सूची का संकलन करना चाहिए ।

क) यह निदेश दिया गया कि दि.वि.प्रा. को ऐसी भूमि की व्यापक सूची का संकलन करना चाहिए तथा जनता की जानकारी के लिए इसे वेबसाइट पर प्रकाशित भी करना चाहिए।

iii) श्री ओ.पी. शर्मा ने यह कहते हुए विश्वास नगर में मार्गाधिकार पर झुग्गी को हटाने के विषय में की गई कार्रवाई रिपोर्ट से असहमति ज़ाहिर की कि पहले यह निर्णय लिया गया था कि दि.वि.प्रा. उनके हटाने और उनके पुनर्वास के लिए दि.वि.प्रा. नोडल एजेंसी होगी ।

क) यह निदेश दिया गया कि दि.वि.प्रा. वरीयता के आधार पर डी.यू.एस.आई.बी. के साथ मामले पर विमर्श करे तथा श्री ओ.पी. शर्मा को इन झुग्गियों के पुनर्वास कार्यक्रम की जानकारी दे ।

iv) श्री एस.के. बग्गा ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ओपन जिम बनाने के उनके अनुरोधो के बावजूद कृष्णा नगर क्षेत्र में एक भी ओपन जिम नहीं बनाया गया है ।

v) दि.वि.प्रा. द्वारा मल्टी जिम बनाए जाने के संबंध में श्री ओ.पी. शर्मा और श्री सोमनाथ भारती ने उल्लेख किया कि दि.वि.प्रा. इस मामले में न तो प्राधिकरण के सदस्यों की राय लेता है और न ही उद्घाट्न समारोहों में उन्हें आमंत्रित करता है ।

क) इस संबंध में सदस्यों के मनोभावों को स्वीकार किया गया और निदेश दिया गया कि ऐसे आयोजनों हेतु स्थानीय विधायकों और प्राधिकरण सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बारे में दि.वि.प्रा. मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयार करे।

vi) श्री सोमनाथ भारती ने बेगमपुर गांव में तालाब की सफाई के बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट से असहमति जताई जिसके द्वारा यह कहा गया था कि स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बेगमपुर गांव में कोई तालाब नहीं है। श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार जलाशय विद्यमान है जिसका पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है ।

क) यह निदेश दिया गया कि जहां भी पारंपरिक जलाशय विद्यमान हो उनके पुनरुद्धार हेतु एक नीति होनी चाहिए । जलाशय को ढूंढ़ने हेतु बेगमपुर गांव का पुनः संयुक्त निरीक्षण किया जाए और इसके पुनरुद्धार हेतु उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

vii) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि बेगमपुर गांव में कब्रिस्तान के आबंटन हेतु उनके द्वारा अनुरोध की गई भूमि के संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ मामले को उठाया जाना चाहिए न कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ जैसा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में उल्लिखित है ।

viii) श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि की गई कार्रवाई रिपोर्ट जिसके माध्यम से यह उल्लेख किया गया है कि हौज खास गांव में वन भूमि पर वैकल्पिक सड़क का निर्माण व्यवहार्य नहीं है , को बिना संयुक्त स्थल निरीक्षण के तैयार किया गया है ।

क) यह निर्णय लिया गया कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों हेतु उनके साथ संबंधित अधिकारियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के आयोजन के पश्चात् रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

ix) श्री सोमनाथ भारती ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी सात स्थलों के विवरणों की मांग की जहां ओपन जिम बनाए गए हैं।

<u>मद संख्या 19/2017</u>

दि.मु.यो.-2021 में व्यावसायिक केन्द्रों हेतु विकास नियंत्रक मानदण्डों पर पुनः चर्चा करना।
एफ. 15(10)2013/एम.पी./पार्ट-I

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

<u>मद संख्या 20/2017</u>

योजना जोन-ई के अंतर्गत आने वाले त्रिलोकपुरी में डी.एम.आर.सी. द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु 3164.30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भूमि के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' से 'आवासीय' में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव ।
एफ. 20(09)2016-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

मद संख्या 21/2017

दि.मु.यो.-2021 में सरकारी क्षेत्र हेतु विभिन्न सुविधाओं/उपयोग परिसरों की अनुमेयता के संबंध में।
एफ. 20(09)2015/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

मद संख्या 22/2017

योजना जोन-डी के अंतर्गत आने वाले कमला मार्केट, नई दिल्ली स्थित 1.77 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि के भूमि उपयोग के 'मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)' से 'व्यावसायिक-सी 1' में परिवर्तन का प्रस्ताव।
एफ. 3(16)91-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

मद संख्या 23/2017

नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, जोन-एच के समीप मेट्रो स्टेशन/प्रवेश/निकास के निर्माण तथा एम.आर.टी.एस. परियोजना, फेज-III(लाइन-7) हेतु यातायात परिचालन के लिए 18452.0 वर्ग मीटर भूमि के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" (जिला पार्क) से "परिवहन" (टी-3 एम.आर.टी.एस. परिचालन) में परिवर्तन का प्रस्ताव।
एफ. 20(8)2012/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

मद संख्या 24/2017

योजना जोन-'सी' के अंतर्गत आने वाले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 1.78 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)' से 'व्यावसायिक (सी-1)' में परिवर्तन का प्रस्ताव।
एफ. 3(14)2008/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए ।

<u>मद संख्या 25/2017</u>

जोन-जे में इग्नू कैंपस के समीप मैदानगढी स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए 3.74 हेक्टेयर (9.25 एकड़) स्थल के भूमि उपयोग को 'रिहायशी' भूमि उपयोग तथा 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं' पी.एस.-I) से 'सुविधा' (यू-4) में परिवर्तन।
एफ. 3(12)2014/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

<u>मद सं. 26/2017</u>

दि.मु.यो.-2021 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित प्रावधानों के अनुसार मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमत गैर-औद्योगिक गतिविधियों जैसे 'आवास उपयोग (समूह आवास)' आदि अनुमति देने के लिए प्रभारों के निर्धारण एवं 'औद्योगिक' को 'वाणिज्यिक/अस्पताल' बनाने के मामलें में उपयोगकर्ता पर लगने वाले प्रभारों में परिवर्तन के साथ ही संशोधन/निर्धारण हेतु नीति बनाना।

एफ.1(मिस.)2016/एलएसबी(I)

प्रस्तुत की गई एजेंडा मद के साथ संलग्न परिशिष्ट के साथ-साथ एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के पश्चात्, एजेंडा मद पर निर्णय स्थगित किया गया।

इसके अतिरिक्त, यह निदेश दिया गया कि दि.वि.प्रा. प्रस्ताव को पुन: देखेगा और सरल रूप देने एवं अधिक युक्तिसंगत फार्मूला बनाने पर विचार करेगा।

<u>मद सं. 27/2017</u>

दिनांक 31.12.2015 (31.12.2019 तक) के बाद दि.वि.प्रा. की 'पुरानी योजना शाखा' के अंतर्गत 23 नजूल-I एस्टेटस में 'आवासीय' एवं 'भूमि के मिश्रित उपयोग' की पट्टा शर्त के नवीकरण हेतु नीति से संबंधित प्रस्ताव।

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद पर निर्णय स्थगित किया गया।

मद सं. 28/2017

लंबित एवं नए अदालती मामले तथा भावी मुकदमेबाजी की क्षमता रखने वाले मामलों के समझौते का पता लगाने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु सीमित के गठन का प्रस्ताव।

पीएस/सीएलए/डीडीए/2017

विस्तृत विस्तार के पश्चात्, यह निर्णय लिया कि गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों को विचार/अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाए, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा इस मामले में निर्णय लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

मद सं. 29/2017

एक सक्षम कार्यनीति बनाने एवं अन्य संबंधित नीतियों/योजनाओं के रूप में दिल्ली मुख्य योजना-2041 तैयार करने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) एवं राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एफ.15(04)/2017-एम.पी.

एजेंडा में दी गई सूचना को नोट कर लिया गया।

मद सं. 30/2017

अध्याय 10.0-दि.मु.यो.-2021 की निर्मित धरोहर का संक्षरण में 'इंद्रप्रस्थ पुरातत्व पार्क' को निर्दिष्ट करना।

एफ.20(10)/2015-एम.पी.

एजेंडा मद के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु इस मामले को तत्काल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 31/2017

दिल्ली विकास प्राधिकरण में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

एफ.4(12)2016/7वें सीपीसी/पीएंडसी(पी)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 32/2017

वर्ष 2017-18 के लिए दुरूपयोग प्रभार की गणना के उद्देश्य हेतु भूमि की दरों का निर्धारण।

एफ.2(14)96-97/एओ(पी)डीडीए/पार्ट-II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद

मद सं. 33/2017

अवैध निवासियों को आबंटित किए जाने हेतु उपलब्ध ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को चिन्हित करना और दि.वि.प्रा. भूमि से झुग्गियों एवं जे.जे. बस्तियों को हटाने हेतु जे.जे. रिहैबिलिटेशन एवं रिलोकेशन पॉलिसी एण्ड प्रोटोकॉल अपनाना।

एफ:एन.ओ/11/केपीसी/डीडीए

प्रस्तुत किए गए एजेंडा मद के साथ संलग्न परिशिष्ट में शामिल संशोधनों के साथ-साथ एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रस्तुत किए गए मद

मद सं. 34/2017

प्लानिंग, जोन-डी में आने वाले अकबर रोड, नई दिल्ली स्थित प्लॉट सं 16-ए पर उद्योग विभाग (डी.जी.एस. एवं डी/आपूर्ति), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय के निर्माण हेतु 1.775 हैक्टेयर (4.388 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पी.एस.आई.) से सरकारी (जी2), में परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव।

फा.सं. एफ.20(04)2008/एमपी

सेंट्रल विस्टा कमिटी से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अधीन एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने से पहले पी.एम.ओ. से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए।

<u>प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए "अन्य मामले"</u>

1. **श्री विजेन्द्र गुप्ता ने निम्नलिखित मामले उठाए:-**

   i) दि.वि.प्रा. द्वारा बनाए जाने वाले प्रस्तावित सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

   ii) प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनके लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की सिफारिश की जानी चाहिए।

   iii) अत्यधिक उच्च आरक्षित कीमतों के कारण दि.वि.प्रा. के व्यावसायिक स्थलों की नीलामी नहीं की जा रही है।